न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21 / 2020 GCMS NO 2020 / 00151
दायरा तिथि : 03.11.2020
आदेश तिथि : 21-10-2021

प्रार्थी :–
जयेश सोलंकी पुत्र रामकिशनजी सोलंकी जाति मेवाडा
निवासी अम्बा माता स्कीम, सर्किट हाऊस के पास, पाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी
3. सुनिल केजरीवाल पुत्र एस.एम.केजरीवाल जाति अग्रवाल सा. नई दिल्ली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 21-10-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1104, 1131, 1130, 1129, 1127, 1122, 1123, 1111 मेंसे 30 फीट चौडाई में नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2021 / 1329 दिनांक 06.08.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री जयेश सोलंकी पुत्र रामकिशनजी सोलंकी जाति मेवाडा निवासी पाली तहसील पाली के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु आवेदित रास्ते के अलावा अतिरिक्त अन्य न्यूनतम रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1123	0.07	गैमु. मगरी	12X 6.15= 73.80 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
2	1122	0.12	बा.सो.	12X 6.15= 73.80 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
3	1127	0.77	गै.मु. मगरी	36 X 6.15= 221.40वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
4	1129	0.20	बा.सो.	76 X 6.15= 467.40वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
5	1112	1.53	बा.सो.	100 X 6.15= 615 वर्गमीटर	राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी 1/2 सुनिल केजरीवाल पुत्र एस.एम.केजरीवाल जाति अग्रवाल 1/2 सा. नई दिल्ली खातेदार
6	1111	0.04	गै.मु. मगरी	4 X 6.15= 24.60 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
7	1130	0.96	गै.मु. मगरी	40 X 6.15= 246 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21/2020 GCMS NO 2020/00151

अनवान जयेश सोलंकी बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरीवेडा स्टेशन की डी.एल.सी. दर 85770/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कंटीली झाडिया खडी हैं। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के खसरा नंबर 1112 में 100 मीटर लंबाई में प्रस्तावित रास्ते की भूमि में तारबंदी की हुई हैं, तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मेंसे अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण इत्यादि नहीं हैं।

प्रकरण के चलते खसरा नंबर 1112 के खातेदार राहुल शारदा व सुनिल केजरीवाल के पॉवर ऑफ एटोरनी होल्डर डूॅंगरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश कर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र को वकुलाय की बहस के पश्चात् खारिज किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में खसरा नंबर 1112 से भी रास्ता प्रस्तावित किया जाने से न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 1112 के खातेदार राहुल शारदा व सुनिल केजरीवाल को पक्षकार बनाया गया। नवीन पक्षकारो की तलबी के लिये वकील प्रार्थी ने रजिस्टर्ड के नोटिस पेश किये जाने से नव सृजित पक्षकारो की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई। वकील प्रार्थी ने इनकी तलबी का तामीली स्टेटस भी पेश किया।

तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने तथा नव सृजित पक्षकारो की रजिस्टर्ड डाक से तामील के पश्चात् प्रकरण को बहस के लिये रखा गया। बहस के चलते खसरा नंबर 1112 के खातेदार राहुल शारदा व सुनिल केजरीवाल के पॉवर ऑफ एटोरनी होल्डर डूॅंगरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1112, 1111 मेंसे रास्ता की मांग नहीं करते हुये भी तहसीलदार, बाली द्वारा इन खसरो से रास्ता प्रस्तावित किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। इसके साथ ही दूसरी आपत्ति यह की गई कि प्रार्थी द्वारा रास्ता के लिये आवेदित भूमि व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 1123, 1127, 1111, 1130 की किस्म गै.मु. मगरी होने से धारा 16 टिनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रतिबंधित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251(ए) खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील आपत्तिकर्ता व व वकील प्रार्थी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित की बहस सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त हैं कि मांग के अनुसार ही अनुतोष दिया जा सकता है, जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये खसरा नंबर 1111 व 1112 की भूमियो से किसी प्रकार के रास्ते की मांग नहीं करते हुये तहसीलदार, बाली ने खसरा नंबर 1111 व 1112 से रास्ता प्रस्तावित कर दिया है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं हैं। वकील आपत्ति कर्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि आवेदक द्वारा रास्ते हेतु चाही गई भूमि एवं तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेखित खसरा नंबर 1123, 1127, 1111, 1130 की किस्म गै.मु. मगरी है, जो गै.मु. मगरी किस्म की भूमि टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में वर्णित भूमियो में से प्रतिबंधित भूमि है। जिससे प्रार्थी का धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील आपत्तिकर्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील प्रार्थी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि आवेदक की खातेदारी भूमि मोरीवेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में वर्तमान में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत रास्ता के लिये आवेदन राजकीय सिवाय चक भूमि से किया। जिस पर तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिस रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली ने नियमो के तहत निकटतम रूट से रास्ता प्रस्तावित किया है, जो सही किया है। उसके अनुसार आवेदक को रास्ता दिलाने के आदेश पारित किये जाये अथवा न्यायालय जिस रूट से उचित समझे रास्ता दे सकता है, आवेदक को केवल मात्र अपनी खातेदारी भूमि तक पहुॅंच मार्ग चाहिये, न्यायालय जिस रूट से देगा उसे स्वीकार्य हैं। विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान् धारा 16 टिनेन्सी एक्ट में वर्णित भूमियो की सूची भी पेश की, जिसके अनुसार गै.मु. मगरी प्रतिबंधित नहीं होना बताया। इसके साथ ही दौराने बहस निम्न न्यायिक उद्धहरण भी पेश किये:–

1. RRT 2014(2) अमरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 27.09.2013 को पारित निर्णय की प्रति
2. RRT 2011(2) गोविन्द नारायण बनाम राज. राज्य में माननीय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 11.04.2011 को पारित निर्णय की प्रति

पेज लगातार......03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21/2020 GCMS NO 2020/00151
अनवान जयेश सोलंकी बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे इन कानूनी उद्धहरणो में पारित निर्णय के अनुसार गैर गुमकिन पहाड/डूँगरी किस्म की भूमि को भूमि आवंटन नियमो के तहत भी प्रतिबंधित नहीं माना है, जबकि हस्तगत् प्रकरण में भूमि का कृषि प्रयोजन आवंटन नहीं होकर मात्र रास्ता प्रयोजन उपयोग के लिये अनुमति होगी। जिससे आपत्तिकर्ता की आपत्तियो को खारिज कर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता बाबत् आदेश जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक/1329 दिनांक 06.08.2021 से न्यूनतम **shortest** (सबसे छोटा मार्ग) से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित रूट से रास्ता लम्बाई में होने से तहसीलदार, बाली द्वारा निकटतम रूट से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार निकटतम रूट से सबसे छोटा रास्ता ही प्रदान किया जा सकता है, जिससे वकील अप्रार्थी पक्ष की यह दलील स्वीकार योग्य नहीं हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित मार्ग से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है। विधिक प्रावधानो के अनुसार सबसे छोटा मार्ग ही दिया जा सकता है, जिससे अनावश्यक लम्बा रास्ता दिया जाना तर्कसंगत नहीं होने व नियमो के विपरित होने से वकील अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियो को खारिज किया जाता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.66 हैक्टर में आवागमन हेतु **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मोरीबेडा पटवार हल्का, दूदनी** के खसरा नंबर 1122, 1123, 1127,1129, 1111, 1130 मेंसे कुल 1094.70 वर्गमीटर एवं अप्रार्थी राहुल शारदा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा **नंबर 1112 मेंसे 615 वर्गमीटर कुल 1709.70 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकवा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 85770/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1123	0.07	12X6.15=73.80 वर्गमीटर	8.58	633 X2=1266	राजकीय सिवायचक भूमि
1122	0.12	12X6.15=73.80 वर्गमीटर	8.58	633X2=1266	राजकीय सिवायचक भूमि
1127	0.77	36X6.15=221.40वर्गमीटर	8.58	1900X2=3800	राजकीय सिवायचक भूमि
1129	0.20	76X6.15=467.40वर्गमीटर	8.58	4010X2=8020	राजकीय सिवायचक भूमि
1112	1.53	100X6.15= 615 वर्गमीटर	8.58	5277X2=10554	राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी 1/2 सुनिल केजरीवाल पुत्र एस.एम.केजरीवाल जाति अग्रवाल 1/2 सा. नई दिल्ली खातेदार
1111	0.04	4X 6.15= 24.60 वर्गमीटर	8.58	211X2=422	राजकीय सिवाय चक भूमि
1130	0.96	40X 6.15= 246 वर्गमीटर	8.58	2111X2=4222	राजकीय सिवाय चक भूमि

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21/2020 GCMS NO 2020/00151

अनवान जयेश सोलंकी बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **10554/– (अक्षरे दस हजार पांच सौ चौपन मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। तथा **18996/–**अक्षरे अट्ठारह हजार नौ सौ छियानवे राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

क्रमॉक/कोर्ट/2021/

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जयेश सोलंकी पुत्र रामकिशनजी सोलंकी जाति मेवाडा निवासी पाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner